न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी:—**रूक्मणि रियार सिहाग आई.ए.एस.**

प्रकरण संख्या:—03 / 2023 अर्न्तगत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

स्टेट जरिये बाबूलाल जानू प्रवर्तन अधिकारी, नोहर कार्यालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ।

——प्रार्थी

बनाम

कमल पुत्र श्री लक्ष्मण दास राजपूत पंजाबी ढाबा गोगामेडी तहसील नोहर

——अप्रार्थी

उपस्थितः— 1. श्री शिवराज सिंह बराड राजकीय अधिवक्ता।
2. अप्रार्थी स्वयं।

—:निर्णयः— दिनांकः—23.08.2023

स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी, नोहर कार्यालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 30.12.2022 को जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ हमराह प्रवर्तन अधिकारी, नोहर द्वारा गैस सिलेण्डरों की अवैध रिफिलिंग, व्यावसायिक दुरूपयोग व कालाबाजारी रोकथाम अभियान के दौरान गोगामेड़ी तहसील नोहर स्थित पंजाबी ढाबा की जांच की गई। मौके पर ढाबे में कमल उपस्थित मिले जिन्होने स्वयं को ढाबे का मालिक होना बताया। मालिक ने बताया कि ढाबे में मिठाई एवं खाना बनाकर विक्रय करने का काम किया जाता है तथा विक्रय की गई सामग्री का मूल्य वसूल किया जाता है। ढाबे में तलाशी के दौरान उपयोग में लिये जा रहे 2 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये जिनमें से एक सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी तथा दुसरा सिलेण्डर भारतगैस कम्पनी का पाया गया। मौके पर ढाबे में घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक रूप में उपयोग करना तथा विक्रय की गई सामग्री का मूल्य वसूल किया जाना पाया गया। चूँकि घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग किसी भी उपभोक्ता द्वारा स्वयं के उपभोग के लिये स्वयं के घर में किया जाता है तथा उसके द्वारा घरेलू उपयोग के अलावा भिन्न किसी परियोजन के लिये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का उपयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार मौके पर Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order 2000 के क्लॉज 3(1)(C) का उल्लंघन पाये जाने पर उक्त 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों को जब्त किया गया तथा जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर श्री सौरभ जैन पुत्र श्री बाबूलाल जैन उम्र 31 वर्ष हाल प्रबन्धक, श्री रामदेव इण्डेन ग्रामीण वितरक गैस एजेन्सी रामगढ की सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार श्री कमल पुत्र श्री लक्ष्मण दास राजपूत पंजाबी ढाबा गोगामेड़ी तहसील नोहर द्वारा Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order 2000 के क्लॉज 3(1)(C) का उल्लंघन किया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए प्रस्तुत कर स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी, नोहर कार्यालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात करने के आदेश फरमायें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया।

अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6A आवश्यक वस्तु अधिनियम पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि प्रार्थी के होटल पंजाबी ढाबा गोगामेड़ी से जब्त किये गये उक्त दोनों सिलेण्डर राजस्थान राज्य के नहीं होकर पंजाब राज्य से जारी है। उक्त सिलेण्डर प्रार्थी ने केवल मात्र खाली लाकर रखे थे प्रार्थी का मकसद उक्त

Web Copy, Not Official

सिलेण्डरों को उपयोग में लेने का नहीं था परन्तु प्रार्थी के नौकर जिसे की उक्त बात का इल्म व ज्ञान नहीं था उसने भूलवश उक्त सिलेण्डरों को उपयोग में लेना चाहा था परन्तु उक्त सिलेण्डर खाली थे इनमें कोई मौके पर गैस भरी हुई नहीं थी फिर भी जांच अधिकारी ने प्रार्थी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की कार्यवाही की गई है जो कि न्यायहित में मान्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा अगर कोई गलती हुई है तो प्रार्थी उसके लिए क्षमा प्रार्थी है व भविष्य में प्रार्थी ऐसा कोई कार्य नही करेगा। अतः प्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाकर प्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही ड्रोप फरमाते हुये प्रार्थी से जब्त किये गये उक्त दोनों सिलेण्डर प्रार्थी को सुपुर्द किये का निवेदन किया है।

बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों के साथ पकड़ा गया है, जो कि घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक रूप में उपयोग करना पाया गया है जिससे सिद्ध होता है कि उक्त दुकान पर ही सिलेण्डरों का उपयोग हो रहा था। अप्रार्थी द्वारा जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों को दुकान पर उपयोग करना राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा सिलेण्डरों को राजसात किया जावे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उपरोक्त घरेलू सिलेण्डर प्रार्थी ने केवल मात्र खाली लाकर रखे थे प्रार्थी का मकसद उक्त सिलेण्डरों को उपयोग में लेने का नहीं था परन्तु प्रार्थी के नौकर जिसे की उक्त बात का इल्म व ज्ञान नहीं था उसने भूलवश उक्त सिलेण्डरों को उपयोग में लेना चाहा था परन्तु उक्त सिलेण्डर खाली थे इनमें कोई मौके पर गैस भरी हुई नहीं थी। अतः जब्तशुदा सिलेण्डरों को लौटाकर प्रार्थी (अप्रार्थी) के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड के अनुसार अप्रार्थी द्वारा उक्त सिलेण्डरों की जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं और जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार दोनों गैस सिलेण्डर बाहरी राज्य से जारी होना व अप्रार्थी द्वारा कोई गैस कनैक्शन कॉपी आदि भी प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार अप्रार्थी का निजी उपयोग हेतु सिलेण्डरों का उपयोग किये जाने का तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है। यह पश्चातवर्ती (After thought) तर्क है। पत्रावली के संपूर्ण अवलोकन से अप्रार्थी का उक्त कृत्य 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है।

अतः प्रार्थी राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, हनुमानगढ़ का प्रार्थना पत्र अंतर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर 2 सिलेण्डरों को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते हनुमानगढ़

(रूक्माराम रियार सिहाग)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़